

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या यू0 डी0-ए0(3)13/2015-लूज शिमला-2 तारीख 05-12-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल , पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम , 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र , हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) “अधिनियम” से, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम , 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) अभिप्रेत है;
 - (ख) “आयुक्त” से, नगर निगम का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ;
 - (ग) “कार्यकारी अधिकारी” से , नगर परिषद् का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ;
 - (घ) “प्ररूप” से , इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
 - (ङ) “लोक प्रयोजन” के अन्तर्गत अधिनियम के सन्दर्भ में निम्नलिखित हैं,-
 - (i) सड़कों, गलियों (स्ट्रीट्स) पथों (लेनज) को चौड़ा करना ;
 - (ii) सड़कों, गलियों (स्ट्रीट्स) पथों (लेनज) के संरक्षण बदलना ;
 - (iii) क्लोवर लीव्ज के आकार के या उसके बिना फ्लाईओवर और स्लिप डाउन सड़कों का निर्माण ;
 - (iv) छोटे मार्गों (अन्डर पासिज) का निर्माण करना ;
 - (v) भूमि का उस प्रयोजन के लिए विकास करना जिसके लिए यह किसी लोक परियोजना के लिए आरक्षित या अर्जित की गई है;
 - (vi) नगर योजना स्कीमों का कार्यान्वयन ;
 - (vii) जल ,अंधड़ जल या मलनालियाँ बिछाना ;
 - (viii) सेवाओं के लिए अन्तःस्थ पंपिंग स्टेशनों का निर्माण ;
 - (ix) सार्वजनिक सुविधाएं ;

- (x) लोक परिवहन से सम्बन्धित कोई परियोजना जैसे कि बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी. आर. टी. एस.), मेट्रो आदि ;
 - (xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इ डबल्यू एस) के हेतु आवास बनाना;
 - (xii) पार्कों, उद्यानों का निर्माण करना और अमोद-प्रमोद के क्षेत्रों की व्यवस्था करना;
 - (xiii) इको सिस्टम रिसोर्स का उस क्षेत्र में संरक्षण करना ; और
 - (xiv) स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया गया कोई अन्य विकास कार्य जिसका अत्याधिक समुदाय हिताधिकारी हो ;
- (च) “नियमों” से अधिनियम की धारा 36 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है ;
- (छ) “अनुसूची” से ,इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ज) “सचिव” से ,नगर पंचायत का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है ; और
- (झ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-2

पथ विक्रेता की आयु

3. पथ विक्रेता की न्यूनतम आयु.— पथ विक्रय के लिए पथ विक्रेता की न्यूनतम आयु चौदह वर्ष होगी।

अध्याय-3

नगर विक्रय समिति

4. नगर विक्रय समिति का गठन.—(1) प्रत्येक नगर पालिका नगर विक्रय समिति का निम्नलिखित रीति में गठन करेगी, अर्थात् :-

अ. नगर निगम की दशा में समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :-

शासकीय सदस्य

- (i) नगर निगम आयुक्त, नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण का चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य निवारक उपायों के प्रबन्धन का कोई भारसाधक अधिकारी ;
- (iii) कलक्टर का प्रतिनिधि ;
- (iv) योजना प्राधिकरण का प्रतिनिधि ;
- (v) पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पुलिस पदधारी जो सहायक पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो ; और
- (vi) यातायात पुलिस का एक प्रतिनिधि :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित एक शासकीय सदस्य समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

गैर-सरकारी सदस्य-

- (i) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, एक पार्षद ;
 - (ii) समिति में , पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि ,कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;
 - (क) नगर विक्रय समिति हेतु पथ विक्रेताओं का निर्वाचन करते समय यदि नगर विक्रय समिति उचित समझे तो वह चकानुक्रम आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले स्थानों की संख्या का विनिश्चय करेगी ; और
 - (ख) नगर विक्रय समिति , महिलाओं के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए , प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व आरक्षित और सामान्य प्रवर्गों के स्थानों , जिन का प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा, की संख्या विनिश्चित करेगी।
 - (iii) समिति में , समुदाय आधारित संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य , कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;
 - (iv) मण्डी और व्यापार संगमों का एक सदस्य ;
 - (v) आवासीय कल्याण संगमों का एक सदस्य; और
 - (vi) यथास्थिति शहर , या नगर के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि।
- आ. नगरपालिका परिषद् की दशा में, समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :-

शासकीय सदस्य-

- (i) कार्यकारी अधिकारी ,नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा ;
- (ii) उप-मण्डल मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि ;
- (iii) चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि ;
- (iv) पुलिस निरीक्षक ;
- (v) यातायात पुलिस का प्रतिनिधि और
- (vi) राज्य के नगर एवं ग्राम योजना विभाग का कोई पदधारी या प्रतिनिधि जो स्थानीय तौर पर या किसी निकटतम शहर या नगर में तैनात हो :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित एक शासकीय सदस्य समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

गैर –सरकारी सदस्य

- (i) स्थानीय प्राधिकरण का एक सदस्य ;
- (ii) समिति में , पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि ,कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;
 - (क) नगर विक्रय समिति हेतु पथ विक्रेताओं का निर्वाचन करते समय यदि नगर विक्रय समिति उचित समझे तो वह चक्रानुक्रम आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले स्थानों की संख्या का विनिश्चय करेगी ;
 - (ख) नगर विक्रय समिति महिलाओं के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व आरक्षित और सामान्य प्रवर्गों के स्थानों, जिन का प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा, की संख्या विनिश्चित करेगी।
- (iii) मण्डी और व्यापार संगमों का एक सदस्य ;
- (iv) समिति में , गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के सदस्य कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;
- (v) आवासीय कल्याण संगमों का एक सदस्य; और
- (vi) यथास्थिति , शहर या नगर के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि।

इ. नगर पंचायत की दशा में समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :-

शासकीय सदस्य—

- (i) सचिव, नगर विक्रय समिति का अध्यक्ष होगा ;
- (ii) तहसीलदार का एक प्रतिनिधि ; और
- (iii) चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि ;
- (iv) पुलिस उपनिरीक्षक ; और
- (v) यातायात पुलिस का प्रतिनिधि।

गैर-सरकारी सदस्य—

- (i) स्थानीय प्राधिकरण का एक सदस्य ;
- (ii) समिति में , पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधि ,कुल सदस्यों के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;
 - (क) नगर विक्रय समिति हेतु पथ विक्रेताओं का , निर्वाचन करते समय यदि नगर विक्रय समिति उचित समझे तो वह चक्रानुक्रम आधार पर अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किए जाने वाले स्थानों की संख्या का विनिश्चय करेगी ;

(ख) नगर विक्रय समिति महिलाओं के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व आरक्षित और सामान्य प्रवर्गों के स्थानों, जिन का प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा, की संख्या विनिश्चित करेगी।

- (iii) मण्डी और व्यापार संगमों का एक सदस्य ;
- (iv) समिति में, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के सदस्य कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से कम नहीं होंगे ;
- (v) आवासीय कल्याण संगमों का एक सदस्य; और
- (vi) यथास्थिति, शहर या नगर के अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि

(2) गैर-सरकारी सदस्य नियम 6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित या चयनित किए जाएंगे।

(3) आरक्षण की प्रतिशतता का अनुसरण राज्य सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों) के अनुसार किया जाएगा।

5. अनंतिम नगर विक्रय समिति.—(1) नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण/नगरपालिका, के लिए, ऐसे समय तक, जब तक पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण न हो जाए और ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन न हो जाए, अनंतिम नगर विक्रय समिति गठित करेगी। स्थानीय प्राधिकरण, इस प्रयोजन हेतु अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित विभिन्न प्रवर्गों की अनन्तिम नगर विक्रय समिति के समस्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अनन्तिम नगर विक्रय समिति के लिए पथ विक्रेताओं का नामनिर्देशन ऐसे दस्तावेजों पर आधारित होगा, जो व्यक्ति की पिछले छह मास से अधिक से शहर या नगर में पथ विक्रेता के रूप में, जिसके लिए अनन्तिम नगर विक्रय समिति गठित की जानी है, हैसियत को सिद्ध करती है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन गठित अनन्तिम नगर विक्रय समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा या ऐसे समय तक, जब तक किए गए सर्वेक्षण के आधार पर नगर विक्रय समिति के पथ विक्रेताओं का निर्वाचन, जो भी पूर्वतर हो, नहीं हो जाता है।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के निर्वाचन या चयन की पद्धति.—(1) स्थानीय प्राधिकरण का जनरल बोर्ड स्थानीय प्राधिकरण के किसी एक सदस्य को नगर विक्रय समिति के लिए नामनिर्दिष्ट करने का विनिश्चय करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, पथ विक्रेता संगमों, मण्डी और व्यापार संगमों, गैर सरकारी संगठनों, आदि से सदस्यों के नामनिर्देशन की पद्धति के लिए, निम्नलिखित किसी एक प्रक्रिया का विनिश्चय कर सकेगा:—

(क) जहां नगर विक्रय समिति के गैर सरकारी सदस्यों के लिए मत आधारित निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया गया है तो वहां कलक्टर या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रायः स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करके संस्थान-वार निर्वाचन संचालित किया जाएगा ; और

(ख) जहाँ लाट द्वारा चयन करने का विनिश्चय किया गया है तो वहां निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा , अर्थात् :-

(i) स्थानीय प्राधिकरण नगर विक्रय समिति की सदस्यता के लिए आवेदन मंगवाने का नोटिस अपनी वेबसाइट पर तथा हिंदी में प्रकाशित किन्ही दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। नोटिस की एक प्रति को स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर मंडी या मंडियों में किसी सहज दृश्य स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा ;

(ii) ऐसे नोटिस के प्रकाशन में अन्य बातों के साथ –साथ प्रकाशन की तारीख , आवेदन हेतु प्ररूप ,अभ्यर्थी की अर्हता] आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख और आवेदन प्रस्तुत करने की रीति भी अंतर्विष्ट होगी ;

(iii) नोटिस , समिति की सदस्यता हेतु आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए , अंतिम तारीख से तीस दिन पूर्व प्रकाशित किया जाएगा ;

(iv) कोई व्यक्ति, पथ विक्रेताओं के किसी संगम , मंडी संगम , व्यापारियों के संगम , गैर-सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन तथा आवासीय कल्याण संगम का सदस्य होने के कारण , समिति के सदस्यता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा ; किन्तु ऐसे व्यक्ति ने अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी दाण्डिक अपराध के लिए सामान्य निर्वाचन में भाग लेने हेतु अक्षम घोषित करते हुए सिद्धदोष न पाया गया हो ;

(v) स्थानीय प्राधिकरण , आवेदक की विशिष्टियां और कार्य अनुभव के ब्यौरे , विशिष्टतः अनियमित मण्डी या मण्डियों की अधिकारिता मे तथा स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर , पथ विक्रेताओं की बावत , सूचना तथा अन्य ऐसी सूचना , जैसे यह उचित समझा , मांग सकेगी ।

(vi) स्थानीय प्राधिकरण] ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट (यूनिक) नम्बर आवंटित करेगी और उसे प्रत्येक आवेदक को संसूचित करेगी ; और

(vii) यदि किसी एक प्रवर्ग के लिए प्राप्त आवेदन अपेक्षित संख्या से अधिक हैं तो स्थानीय प्राधिकरण , हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में निकाले जाने वाले लाट के आधार पर सदस्य का चयन करेगी

(3) पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन इन नियमों से संलग्न अनुसूची में उपबंधित रीति में संचालित किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय अग्रणी बैंक अपने किसी पदधारी को समिति के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(5) स्थानीय प्राधिकरण , उपर्युक्त सूचना तथा नगर विक्रय समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सूची , समिति की सदस्यता हेतु आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर , अपनी वैबसाइट पर डालेगी ।

(6) नगर विक्रय समिति की विरचना को (शासकीय और गैर सरकारी सदस्यों की) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा राजपत्र , हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाएगा ।

(7) नगर विक्रय समिति का कार्यकाल .- (1) नगर विक्रय समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से पांच वर्ष का होगा ।

(2) नई नगर विक्रय समिति गठन करने की प्रक्रिया ,विद्यमान समिति की अवधि के अवसान से पूर्व] पूर्ण कर ली जाएगी ।

(8) नगर विक्रय समिति के सदस्य का हटाया जाना.- यदि स्थानीय प्राधिकरण की राय में नगर विक्रय समिति का कोई सदस्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे प्रदत्त कर्तव्यों के अनुपालन में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों की सीमा का उल्लंघन करता है या उनका अधिक दुरुपयोग करता है तो अध्यक्ष , आदेश द्वारा , नगर विक्रय समिति से ऐसे सदस्य को हटा सकेगी :

परन्तु ऐसे सदस्य को , हटाए जाने के आदेश को पारित करने से पूर्व , सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(9) रिक्त पद को भरने की पद्धति.- जहां विद्यमान नगर विक्रय समिति में कोई रिक्त किसी सदस्य के त्यागपत्र , मृत्यु , हटाए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से होती है तो वहां ऐसी रिक्त को भरने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो इन नियमों के नियम 6 में अधिकथित है ।

(10) नगर विक्रय समिति की बैठक की प्रक्रिया .- (1) नगर विक्रय समिति अपनी प्रथम बैठक में , अपने कारबार के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं का विनिश्चय करेगी।

(2) बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

(3) सदस्य सचिव , अनुसूचित बैठक से सात दिन पूर्व नोटिस जारी करेगा ।

(4) बैठक में विचार किए जाने वाली मदों की कार्यसूची , सदस्यों को परिचालित की जाएगी और शासकीय अभिहित वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी । प्रत्येक कार्यसूची मद प्रशासन , द्वारा की गई सुस्पष्ट सिफारिशों , यदि कोई हो , सहित अन्तर्वर्लित विवाद्यकों को अभिव्यक्त करते हुए विस्तृत नोट के साथ होगी ।

(5) बैठक की गणपूर्ति समिति की कुल संख्या के दो-तिहाई से होगी ।

(6) निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जायेगा ।

(7) गणपूर्ति के अभाव में कोई भी बैठक नहीं होगी और जहां गणपूर्ति नहीं होती है तो वहां बैठक स्थगित कर दी जाएगी ।

(8) बैठक के कार्यवृत्त , अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और उन्हें समिति की पश्चात्वर्ती बैठक में पुष्टि हेतु रखा जाएगा ।

- (9) बैठक के कार्यवृत्त स्थानीय निकाय की वैबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ।
- (10) नगर विक्रय समिति की बैठक प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार की जाएगी ।
- (11) नई गठित नगर विक्रय समिति की प्रथम बैठक इसके गठन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर नियत की जाएगी ।
- 11 सदस्यों की निरर्हता .- नगर विक्रय समिति के सदस्य की अनुपस्थिति की छुट्टी तथा निरर्हता निम्नलिखित रीति में विनिश्चित की जाएगी ,अर्थात् ;
- (i) कोई सदस्य अत्यावश्यकता की दशा में समिति के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से बैठक से अनुपस्थित रह सकेगा ;
- (ii) जब कोई सदस्य अत्यावश्यकता की दशा में अनुज्ञा के बिना तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष] ऐसे सदस्यों को , बैठकों में उसकी , अनुपस्थिति के कारण , दो सप्ताह के भीतर स्पष्ट करने के लिए , कारण बताओ नोटिस जारी करेगा । यदि ऐसा सदस्य , अपनी अनुपस्थिति हेतु संतोषजनक स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत कर देता है तो उसे सदस्य के रूप में बने रहने दिया जा सकेगा (
- (iii)जहां ऐसा सदस्य बैठक में अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई संतोषजनक कारण देने में असफल रहता है या नियत समय के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देता है , तो नगर विक्रय समिति से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और सदस्य को नगर विक्रय समिति द्वारा समाप्ति आदेश संसूचित किया जाएगा (
- (iv)किसी दाण्डिक मामले में सिद्धदोष ठहराया गया कोई सदस्य दोषसिद्धि की तारीख से विक्रय समिति का सदस्य नहीं रहेगा : और
- (v) कोई सदस्य , जो नगर विक्रय समिति की सदस्यता खो देता है तो वह राज्य सरकार को , समाप्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से, एक मास के भीतर अपील कर सकेगा। राज्य सरकार, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगी और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
12. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रास्थिति पत्र और पथ विक्रय रूपरेखा का रखा जाना.-नगर विक्रय समिति द्वारा प्रक्रिया संबन्धी व्यौरों को अंतिम रूप देने के पश्चात् और इससे पूर्व कि यह स्थायी कारबार आरम्भ करती है , स्थानीय प्राधिकरण , शहर या नगर में समिति के सदस्यों के बीच विक्रय रूपरेखा का निम्नलिखित व्यौरों से अंतर्विष्ट , प्रास्थिति पत्र प्रचारित करेगी, अर्थात् :-
- (i) नक्शों में उपदर्शित शहर या नगर में पथ विक्रय क्षेत्र ,
- (ii) शहर या नगर जहां पहले ही सर्वेक्षण कर लिया गया है, में पथ विक्रेताओं की संख्या, अन्यथा अनुमानित संख्या के बारे में संकेत दिए जा सकते हैं ,
- (iii) पथ विक्रय दृष्टिकोण से तीव्र पदचाप क्षेत्रों, क्षीण पदचाप क्षेत्रों और मध्य श्रेणी क्षेत्रों के बारे में सूचना ,

- (iv) मौसमी विक्रय (सीजनल वैंडिंग) क्षेत्रों, उपयुक्त बाजार क्षेत्रों और रात्रि बाजार क्षेत्रों, अविकसित क्षेत्रों में सम्भाव्य तीव्र पदचाप स्थान ,
- (v) विक्रीत वस्तुओं के विस्तृत प्रवर्ग,
- (vi) यातायात के दृष्टिकोण से क्षेत्रों की समस्या ,
- (vii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के सुसंगत उपबन्धों की सूची , और
- (viii) स्वास्थ्य और स्वस्थ वृत्त पहलुओं की परिगणना जिसका ध्यान पथ विक्रेताओं द्वारा रखा जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण:— यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाए कि प्रस्तुत किया गया डाटा जहां तक सम्भव हो, प्रमाणिक तथा अद्यतन (अप-टू-डेट) हो। यह वस्तुतः , समिति को विनिश्चय लेने में सुकर बनाने के लिए बेसलाइन डाटा से होगा। ये डाटाबेस डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं यदि समिति द्वारा ऐसा करना वांछनीय हो।

13. नगर विक्रय समिति के कृत्य.—अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगर विक्रय समिति निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

- (i) पथ विक्रय हेतु सर्वेक्षण संचालित करना और विक्रय क्षेत्रों (जोनों) के बारे में स्कीम के अधीन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निष्पन्न (वर्कड आउट) उन की धारण क्षमता सहित अंतिम निर्णय लेना ;
स्पष्टीकरण:—विक्रय क्षेत्रों (जोनों) का विनिश्चय करने के लिए नगर विक्रय समिति स्थानीय प्राधिकरण अधिकारी से मूल सामग्री (बेस मटीरियल) या डाटा लेगी। उप-विधियों और योजना से विक्रय क्षेत्रों (जोनों) की पहचान होगी ,
- (ii) जहां समिति जोनिंग या व्यष्टि विक्रेता को आंबटित किए जाने वाले क्षेत्र में परिवर्तन करना आवश्यक समझती है तो यह योजना का उपयुक्त रूप से उपांतरण करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगी। स्थानीय प्राधिकरण की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् समिति उस पर अंतिम विनिश्चय लेगी ;
- (iii) विक्रय क्षेत्रों (जोनों) में परिवर्तन करने की सिफारिश और सुझाव देते समय समिति सम्बद्ध क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात आवागमन ,पैदल चलने वालों की स्थिति को ध्यान में रखेगी ;
- (iv) विक्रय प्रमाणपत्र जारी करना, विधारित करना , उनका नवीकरण करना , रद्द करना या उसको निलंबित करना ;
- (v) स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक संपरीक्षा करना ;

- (vi) परम्परागत बाजार या त्यौहारी बाजार की दशा में उनकी सही अवस्थिति और विशिष्ट अवधि सहित स्थानीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर प्राकृतिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, परम्परागत बाजार, त्यौहारी बाजार, सामायिक बाजार, रात्रि बाजार और आला बाजार की घोषणा करना। जहां ऐसे बाजार नए विकसित हो रहे हों, वहाँ समिति, क्षेत्र और ऐसे अन्य पहलुओं, जैसे यह आवश्यक समझे, का आवश्यक सर्वेक्षण करवाएगी और स्थिति को देखते हुए उस स्थान को उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग का कोई बाजार घोषित करेगी ;
- (vii) राज्य सरकार को समय-समय पर अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित विवरणियां प्रस्तुत करना ;
- (viii) राज्य सरकार को पथ विक्रेताओं हेतु ऋण बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमें उपलब्ध करवाने के प्रोत्साहनीय उपाय करने की सूचना उपलब्ध करवाना ;
- (ix) अर्थव्यवस्था में पथ विक्रेताओं की भूमिका के बारे में लोगों में चेतना जागृत करना, और
- (x) अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा यथा सौंपे गए ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना।

14. विनिर्दिष्ट विवादक के लिए उप-समिति.— नगर विक्रय समिति, समय-समय पर उत्पन्न होने वाले किसी विशिष्ट विवादक का परीक्षण करने और उस पर सुझाव देने के लिए विनिश्चय कर सकेगी तथा इस के सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक उप-समिति का गठन कर सकेगी।

15. गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते.— गैर-सरकारी सदस्य, ऐसी बैठक फीस के हकदार होंगे, जैसी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण (अथारिटी) द्वारा विनिश्चित की जाए। बैठक में गणपूर्ति न होने की दशा में ऐसे सदस्य को, जिसने ऐसी गणपूर्ति न होने वाली बैठक में भाग लिया है, बैठक फीस का पचास प्रतिशत संदत्त किया जाएगा।

16. बैठक में सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्ति.— नगर विक्रय समिति किसी वृत्तिक को, जो पथ विक्रय या स्थानिक योजना विवादकों सहित अनौपचारिक आर्थिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, पथ विक्रय सम्बन्धी मामलों पर राय लेने के लिए, सहयोजित कर सकेगी। ऐसे विशेषज्ञ को बैठक में चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को ऐसा मानदेय संदत्त किया जाएगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए।

17. समिति के कर्मचारी.—(1) नगर विक्रय समिति का अपना स्थायी कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) स्थानीय प्राधिकरण , नगर विक्रय समिति के अनुरोध पर , अपनी लागत पर पर्याप्त कर्मचारी कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करेगा किन्तु समिति द्वारा स्थापन लागत के मद्दे कोई भी स्थायी दायित्व सृजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय-4

विवाद निवारण प्रणाली

18. शिकायत निवारण समिति का गठन.—(1) राज्य सरकार , पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण करने या विवादों का समाधान करने के लिए एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समितियों का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार , शिकायत निवारण समिति के अधिकारिता क्षेत्र तथा मुख्यालय का विनिश्चय करेगी।

(3) (क) राज्य सरकार सिविल न्यायाधीश या ज्यूडिशॉल मजिस्ट्रेट को शिकायत निवारण समिति के लिए, अध्यक्ष के रूप में और दो अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(ख) शिकायत निवारण समिति के अन्य दो सदस्यों में से एक , यथास्थिति , क्षेत्र मे नगर निगम का सेवा-निवृत्त निगम आयुक्त या नगरपालिका का सेवा निवृत्त कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत का सेवा निवृत्त सचिव होगा तथा समिति का दूसरा सदस्य विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता , अधिमानता पथ विक्रय के क्षेत्र सहित अनौपचारिक आर्थिकी क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा।

(4) शिकायत निवारण समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(5) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए।

19. शिकायत निवारण समिति को आवेदन करने का प्ररूप और रीति.—(1) कोई पथ विक्रेता, जिसकी इस अधिनियम (धारा 11 के सिवाय) या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई की बाबत कोई शिकायत या विवाद है , तो वह लिखित में प्ररूप-4 में या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत निवारण समिति को आवेदन कर सकेगा।

(2) पथ विक्रेता द्वारा ऐसा आवेदन किसी ऐसी घटना, जिससे शिकायत या विवाद उत्पन्न हुआ हो, के होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) शिकायत निवारण समिति किसी आवेदन को ग्रहण नहीं करेगी, जहा .—

(क) आवेदन अनाम है या इस में साधारण तथा अस्पष्ट अभिकथन अंतर्विष्ट हैं;

(ख) मामला विधि के किसी न्यायालय, अधिकरण या न्यायिक या न्यायिकल्प प्राधिकरण में विचाराधीन है;

(ग) मामला , अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है;

(घ) आवेदक को आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।

20. शिकायत निवारण समिति द्वारा सुनवाई करने की रीति.—(1) शिकायत निवारण समिति , नियम 19 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक के साथ , यह अवधारित करने के लिए कि क्या कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है और क्या सुविधा की दृष्टि से आवेदक के पक्ष में पलड़ा भारी है , प्रारम्भिक सुनवाई करेगी। पथ विक्रेता ऐसे आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत की भी प्रार्थना कर सकेगा।

(2) प्रारम्भिक सुनवाई का परिणाम सुनवाई की समाप्ति पर सुनाया जाएगा और लिखित में अभिलिखित किया जाएगा तथा आवेदक को संसूचित किया जाएगा। शिकायत निवारण समिति, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, पथ विक्रेता द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत, यदि कोई हो , को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(3) जहां शिकायत निवारण समिति द्वारा यह धारित किया गया है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो शिकायत या विवाद के ब्यौरे से अंतर्विष्ट एक नोटिस लोक प्राधिकरण को जारी किया जाएगा।

(4) ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर लोक प्राधिकरण नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर दाखिल करेगा। उत्तर की एक प्रति निःशुल्क पथ विक्रेता को भी दी जाएगी।

(5) पथ विक्रेता , राज्य प्राधिकरण द्वारा दाखिल किए गए लिखित उत्तर की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिउत्तर दाखिल कर सकेगा।

(6) शिकायत निवारण समिति, आवेदक या प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रतिरोध के सम्बन्ध में तथा इसके समक्ष रखे गए अभिलेख के सन्दर्भ में भी अपने सदस्यों में से किसी एक को या स्थानीय प्राधिकरण के किसी पदधारी को प्रतिनियुक्त कर फील्ड जांच हेतु आदेश दे सकेगी।

(7) शिकायत निवारण समिति दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस तारीख, जिसको दोनों पक्षकारों की सुनवाई पूरी हो जाती है, से एक मास की अवधि के भीतर विनिश्चय करने के लिए कारणों सहित , लिखित में आदेश पारित करेगी।

(8) शिकायत निवारण समिति का विनिश्चय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर होगा जब तक कि नगरपालिका समिति , जिसे अपील हो सकती है, द्वारा इसे रोक न दिया जाए।

अध्याय—5

अपील

21 नगर विक्रय समिति के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील— (1) कोई व्यक्ति , जो नगर विक्रय समिति के विक्रेता प्रमाण पत्र को जारी करने या विक्रेता के प्रमाण पत्र के रद्दकरण

या उसका निलंबन करने की बाबत विनिश्चय या आदेश से व्यथित है , तो वह नगर विक्रय समिति के विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-5 में या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्थानीय प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट नियत अवधि के अवसान के पश्चात् दाखिल की गई कोई अपील स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण विलंब के लिए माफी दे सकेगा यदि उस का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी नियत अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(3) स्थानीय प्राधिकरण ऐसी अपील को , अपील दाखिल करने की तारीख से , तीस दिन की अवधि के भीतर निपटाएगा।

(4) स्थानीय प्राधिकरण दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् , ऐसा विनिश्चय करने के लिए कारणों सहित , लिखित में आदेश पारित करेगा।

22. शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील.—(1) शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति , शिकायत निवारण समिति के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-5 में , या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से , स्थानीय प्राधिकरण को लिखित में अपील कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट नियत अवधि के अवसान के पश्चात् दाखिल की गई कोई अपील स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी :

परन्तु स्थानीय प्राधिकरण विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी नियत अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(3) स्थानीय प्राधिकरण अपील की प्राप्ति पर संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई की तारीख तथा समय की सूचना देते हुए नोटिस जारी करेगा। सुनवाई की तारीख अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर नियत की जाएगी।

(4) स्थानीय प्राधिकरण, दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस तारीख, जिसको दोनों पक्षकारों की सुनवाई पूरी हो जाती है , से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में आदेश पारित करेगा।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

23. पथ विक्रेताओं के अद्यतन अभिलेख अनुरक्षित करने की रीति.—(1) नगर विक्रय समिति के कागजी अभिलेख को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आबंटित स्थान पर इसके कार्यालय (सेक्रेटेरिएट) द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा और सॉफ्ट कॉपी भी उपयुक्त रूप से बनाई रखी जाएगी। नगर

विक्रय समिति द्वारा लिए गए समस्त निर्णय (विनिश्चय) पदाभिहित (डेजिगिनेटड) बैवसाइट पर डाले जाएंगे।

(2) पथ विक्रेताओं को स्थान आबंटित करने से सम्बन्धित अभिलेख दस वर्ष तक रखा जाएगा। अन्य अभिलेख, जब तक कि ये किसी विधिक कार्यवाहियों के लिए आवश्यक न हो, पांच वर्ष की अवधि हेतु रखा जाएगा।

(3) पथ विक्रय के विद्यमान स्थल सहित पथ या सड़क योजना नगर विक्रय समिति का स्थायी अभिलेख होगी।

24. स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति .- अधिनियम की धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम का सारांश दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उसे नगर विक्रय समिति की वैबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्कीम का ऐसा प्रकाशन, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

25. राज्य सरकार को विवरणियाँ प्रस्तुत करना .- प्रत्येक नगर विक्रय समिति धारा 30 के अधीन यथा अपेक्षित विवरणी, प्ररूप-7 में विनिर्दिष्ट व्यौरों सहित समय-समय पर, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

अनुसूची

(नियम 6 (3)देखें)

पथ विक्रेताओं में से नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन की रीति :-

- 1 स्थानीय, प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का संचालन करने के लिए अपना आशय अभिव्यक्त करेगी।
- 2 स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर विक्रय समिति सदस्यों के लिए निर्वाचन का संचालन करने के प्रयोजन हेतु, रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा।
- 3 खण्ड 2 के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी पथ विक्रेताओं में से, नगर विक्रय समिति के सदस्यों हेतु, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में, निर्वाचन का संचालन करेगा।
- 4 चल विक्रेता, स्थायी विक्रेता या पथ विक्रेता, यदि वह नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध का सिद्धदोष है या वह नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप में अक्षम है, तो वह नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु निरहित होगा।
- 5 स्थानीय प्राधिकरण अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियन्त्रण करेगा।
- 6 पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के आशय को अभिव्यक्त करने वाली अधिसूचना जैसी ही जारी कर दी जाती है और निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है, तो स्थानीय प्राधिकरण संकल्प द्वारा, निर्वाचनों के संचालन के लिए तारीख, समय तथा स्थान अवधारित करेगा।
- 7 स्थानीय प्राधिकरण के संकल्प या विनिश्चय का नोटिस नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं के बीच निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति द्वारा परिचालित किया जाएगा, अर्थात :-

(क) दो अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में जिन में से एक हिन्दी में होगा, प्रकाशित लोक सूचना द्वारा ;

(ख) स्थानीय वितरण द्वारा;

(ग) डाक के प्रमाणन के अन्तर्गत डाक द्वारा;

(घ) रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पट (बोर्ड) सहित सक्षम प्राधिकरण के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विसीज द्वारा नोटिस में निम्नलिखित के सम्बन्ध में जानकारी होगी -

(i) अनुसूचित जन जातियों , अनुसूचित जातियों , अन्य पिछड़े प्रवर्गों , महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों , अल्पसंख्यकों या किन्हीं अन्य प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षित स्थानों सहित निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या;

(ii) नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख] स्थान और समय ,निर्वाचन के लिए नियत तारीख से पूर्व की ऐसी तारीख जो सात सुस्पष्ट दिनों से कम न हो या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो आगामी दिन जिसको सार्वजनिक अवकाश न हो;

(iii) नामांकन पत्रों की संवीक्षा करने की तारीख और समय ; और

(iv) मतदान की तारीख ,स्थान तथा समय ।

8. स्थानीय प्राधिकरण , नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में पथ विक्रय के व्यवसाय में लगे हुए पथ विक्रेताओं की सूची, जो नामांकन आमंत्रित करने हेतु नियत तारीख से तीस दिन पूर्व की हो, तैयार करेगा और उक्त सूची की प्रतियाँ नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर, नामांकन आमंत्रित करने के लिए नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व, चिपका कर प्रकाशित (पब्लिश) करेगा। सूची में पथ विक्रय प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रीकरण संख्या और पथ विक्रेता का नाम, यथास्थिति, पिता या पति का नाम और पथ विक्रेता का पता विनिर्दिष्ट होगा। यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह पथ विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर और ऐसे अन्य रजिस्टर, जैसा रिटर्निंग अधिकारी अपेक्षा करे, लाए और ऐसा अभिलेख या रजिस्टर, निर्वाचन के प्रयोजन हेतु नियत तारीख से तीस दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे। सूची की एक प्रति, यथास्थिति, नगर विक्रेता समिति या स्थानीय प्राधिकरण या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी पथ विक्रेता को ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , दी जाएगी।
9. निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन प्रारूप-1 में किया जाएगा जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पथ विक्रेता को निःशुल्क दिया जाएगा।
10. अभ्यर्थी नामांकन पत्रों के साथ दो हजार रुपये नकद में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या पे-आर्डर के माध्यम से का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी डाले गए मतों का 1/6 हिस्सा (छटा हिस्सा) प्राप्त करने में असफल रहता है तो प्रतिभूति निक्षेप स्थानीय प्राधिकरण में समपहृत हो जाएगा।
11. प्रत्येक नामांकन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्थापक या समर्थक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्र पर उसकी क्रम संख्या दर्ज करेगा और उसके द्वारा प्राप्त किए गए नामांकन पत्र की तारीख और समय को प्रमाणित करेगा और तुरन्त नामांकन पत्र की प्राप्ति के लिए एक लिखित अभिस्वीकृति रसीद प्रदान करेगा जिस पर नगर विक्रय समिति या रिटर्निंग अधिकारी की मुहर लगी होगी। उस नामांकन पत्र को जो ,उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है, अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12 (i) नामांकन पत्रों की प्राप्ति हेतु नियत तारीख के आगामी दिन को रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों को अभिरक्षा में रखेगा (

(ii) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी नामांकन की बाबत आक्षेपों का विनिश्चय करेगा और या तो ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से और ऐसी संक्षिप्त जांच, यदि कोई हो, जैसी रिटर्निंग अधिकारी आवश्यक समझे, के पश्चात किसी नामांकन को नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नामांकन केवल उसके नाम या उसके प्रस्थापक या समर्थक के नाम या अभ्यर्थी के या किन्हीं अन्य विशिष्टियों या उसके प्रस्थापक या समर्थक से सम्बन्धित, जैसी कि खण्ड 8 में निर्दिष्ट पथ विक्रेताओं की सूची में दर्ज है, के गलत विवरण के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा यदि, यथास्थिति, अभ्यर्थी, प्रस्थापक या समर्थक की पहचान युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो जाती है।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी, यथास्थिति, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या प्रस्थापक या समर्थक को, समस्त नामांकन पत्रों की जांच करने और उनके समाधानप्रद कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम का सम्मिलित किया जाना विधिमान्य है, समस्त युक्तियुक्त प्रसुविधाएं देगा (

(iv) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे मंजूर (स्वीकार) या नामंजूर (अस्वीकार) करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र नामंजूर (अस्वीकार) किया गया है] तो वह ऐसी नामंजूरी के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित में अभिलिखित करेगा (और

(v) रिटर्निंग अधिकारी, कार्यवाहियों का कोई स्थगन, सिवाय जब ऐसी कार्यवाहियां बलवों या दंगे द्वारा या उसके नियंत्रण से परे के कारणों द्वारा बाधित होती है या रोकी जाती है (अनुज्ञात नहीं करेगा।

13 रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र में दिए गए अंग्रेजी वर्णानुक्रमिक क्रम में नाम और पते सहित यथा विनिश्चित विधिमान्य नामांकनों की सूची उसी दिन, जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच पूर्ण हो जाती है, प्रदर्शित या प्रकाशित की जाएगी।

14 कोई भी अभ्यर्थी] अपने नामांकन पत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उस दिन से आगामी दिन, जिसको विधिमान्य नामांकन प्रकाशित किए गए हैं, पांच बजे अपरान्ह से पूर्व] नगर विक्रय समिति के रिटर्निंग अधिकारी को स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में और व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत नोटिस द्वारा अपनी अभ्यर्थिता को वापस ले सकेगा। अभ्यर्थिता को वापिस लेने का एक बार दिया गया नोटिस अप्रतिसंहरणीय होगा।

15 जहां अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं, निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक नहीं होती है तो वहां रिटर्निंग अधिकारी समस्त ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा करेगा और उपरोक्त खण्ड 14 के अधीन, अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत दिन के बन्द होने के समय

के पश्चात् उन्हें नगर विक्रय समिति के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए , घोषित करेगा। जहां अभ्यर्थियों की संख्या जिनके विधिमान्य नामांकन] निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हैं , तो वहां रिटर्निंग अधिकारी शीघ्र मतदान संचालित करने के लिए तारीख नियत करने की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी , जो मतदान संचालित करने के लिए आवश्यक हों , नियुक्त कर सकेगा। निर्वाचन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्र प्ररूप-2 में होंगे।

- 16 स्थानीय प्राधिकरण रिटर्निंग अधिकारी को , मत मत पेटियां , मतपत्र , पथ विक्रेताओं या मतदाताओं की सूची की प्रति तथा ऐसी अन्य वस्तुएं, जो निर्वाचन के संचालन हेतु आवश्यक हों , उपलब्ध करवाएगा। मत पेटि इस प्रकार से डिजाइन की जाएगी कि मतपत्र उसमें डाले तो जा सकें किन्तु मत पेटि का ताला खोले बिना उसमें से निकाले न जा सकें। निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी , रिटर्निंग अधिकारी को पत्र द्वारा दोनो स्थानों , जहां मतदान किया जाना है] पर मतदाताओं की पहचान करने और मतों की रिकार्डिंग देखने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे पत्र में सम्बद्ध अभिकर्ता की प्ररूप 3 में लिखित सहमति होगी।
- 17 किसी व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर जहां निर्वाचन संचालित किया जाना है मतों के लिए सयांचना करना निषिद्ध होगा।
- 18 रिटर्निंग अधिकारी , मतदान प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व खाली मत पेटि को ऐसे व्यक्तियों को दिखाएगा जो उस समय वहां उपस्थित हों और तब उस पर ताला और अपनी मोहर लगाएगा । अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता] यदि उसकी ऐसी वाँछा हैं, अपनी मोहर भी लगा सकेगा ।
- 19 प्रत्येक पथ विक्रेता या मतदाता] जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता हो , को सुविधा अनुसार या तो मुद्रित , टंकित या साइक्लोस्टाइल , अंग्रेजी वर्णानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित , निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वाला मत-पत्र देगा । मत-पत्र पर नगर विक्रय समिति की मोहर के साथ-साथ रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर भी होंगे और इसके अतिरिक्त उसमें मतदाता के लिए एक और स्तम्भ होगा जिसमें अभ्यर्थी] जिसको वह मत देना चाहता है]के नाम के सामने (X) का चिन्ह अंकित करेगा ।
- 20 प्रत्येक मतदान केन्द्र और जहाँ किसी केन्द्र में एक से अधिक पोलिंग बूथ हैं तो वहां प्रत्येक ऐसे बूथ में पृथक् कक्ष होगा, जिसमें पथ विक्रेता या मतदाता गोपनीयता से अपना मत डाल सकता है ।
- 21 किसी भी पथ विक्रेता या मतदाता को तब तक कोई भी मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि मतदान अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि सम्बद्ध पथ विक्रेता या मतदाता वही व्यक्ति है , जो उसे दी गई सूची में अभिलिखित है । ऐसे मतपत्र की प्राप्ति पर पथ विक्रेता या मतदाता इस प्रयोजन हेतु स्थापित मतदान कक्ष में जाएगा और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को , जिसके/जिनके पक्ष में वह अपने मत का प्रयोग करना चाहता है , यथास्थिति , उस या उन अभ्यर्थियों के नामों के सामने (X) चिन्ह अंकित करके , उपदर्शित करेगा और मतपत्र को इस प्रयोजन हेतु

रखी गई मत पेटी में अत्यंत गोपनीयता से डाल देगा । यदि अंधता या अन्य किसी शारीरिक शैथिल्य या निरक्षरता के कारण पथ-विक्रेता या मतदाता मतपत्र पर चिन्ह अंकित करने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी और जहां ऐसा कोई मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है , वहां रिटर्निंग अधिकारी उस से उस अभ्यर्थी या उन अभ्यर्थियों का पता लगाएगा , जिन के पक्ष में वह मत डालना चाहता है तब इस पर उस की/उनकी ओर से मतपत्र पर (x) का चिन्ह लगाएगा और मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा ।

- 22 मतदान के किसी चरण में यदि किसी बलवे या दंगे द्वारा ऐसे निर्वाचन से कार्यवाहियां बाधित होती हैं या रोकी जाती हैं तथा यदि किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी किसी पर्याप्त हेतुक से नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में , ऐसी कार्रवाई हेतु अपने कारणों को अभिलिखित करके मतदान को रोक सकेगा ।
- 23 किसी भी पथ विक्रेता या मतदाता को नियत समय के पश्चात् मतदान के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा किन्तु कोई मतदाता जो उस परिसर में मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने से पूर्व प्रविष्ट हो चुका है , उसे मतपत्र जारी किया जाएगा और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।
- 24 मतदान की समाप्ति के तुरंत पश्चात् मतों की गणना की जाएगी । यदि यह संभव नहीं है तो मतपेटी को रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता , यदि वे ऐसा करना चाहते हैं , की मोहर से सीलबंद किया जाएगा और ऐसी मतपेटी को स्थानीय प्राधिकरण के पास अभिरक्षा हेतु रखा जाएगा । रिटर्निंग अधिकारी तब मतगणना के लिए आगामी दिन की घोषणा करेगा । मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को मतगणना के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार होगा । परन्तु मतगणना के समय किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति] मतगणना को और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा को निष्फल (अवैध) नहीं करेगी । जैसे ही मतों की गणना पूरी हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए मतों की संख्या और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी ।
- 25 निर्वाचन के परिणाम को नगर विक्रय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में भी अभिलिखित किया जाएगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा उसे नगर विक्रय समिति के सूचना पट पर भी तुरंत प्रदर्शित(नोटिफाई) किया जाएगा ।
- 26 मतों के बराबर होने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी सिक्का उछालकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा ।
- 27 मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द/अस्वीकृत कर दिया जाएगा यदि ,—
- (i) इस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे पथ विक्रेता के मत की पहचान हो सकती हो ;
 - (ii) इस पर नगर विक्रय समिति की मुहर या रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर न हो ;

- (iii) उस पर मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह ऐसे स्थान पर] ऐसी रीति में लगाया गया है जिससे यह संदेहास्पद हो गया है] कि मत किस अभ्यर्थी को डाला गया है ; और
- (iv) यह इस प्रकार नष्ट या विरूपित हो कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं कि जा सकती है ।

- 28 निर्वाचन के परिणाम कि घोषणा के पश्चात उसे] उस पर रिपोर्ट सहित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा , निर्वाचन परिणाम कि घोषणा के तीन दिन के भीतर] स्थानीय प्राधिकरण के साथ-साथ राज्य सरकार को भी संसूचित जिया जाएगा ।
- 29 निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित मतपत्र और अभिलेख को मुहरबंद लिफाफे में स्थानीय प्राधिकरण को सौंप देगा । इन्हें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए या ऐसे समय तक जब तक कि निर्वाचन के संबंध में दाखिल किसी विवाद , यदि कोई है , का निपटारा नहीं हो जाता है जो भी पश्चातवर्ती हो , सुरक्षित रूप से परिरक्षित रखा जाएगा और तत्पश्चात स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। निर्वाचन अभिलेख के सुपुर्द करने तथा लेने की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ] सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी ।

प्ररूप 1

{ नियम 6 देखें }

(अनुसूची का खंड 9)

नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन का प्ररूप

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

नगर विक्रय समिति ,

श्रीमान जी ,

मैं ,..... पत्नी / सुपुत्र/सुपत्री श्री नगर विक्रय समिति की अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय करने वाला पथ विक्रेता (रजिस्ट्रीकरण/ विक्रय प्रमाण पत्र संख्या) एतद्वारा श्री/श्रीमती/सुश्रीपत्नी /पुत्र/सुपत्री श्री..... , उक्त नगर विक्रय समिति का पथ विक्रेता (रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र संख्या) , को उक्त समिति के सदस्य के पद हेतुको होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ ।

प्रस्थापक का नाम तथा हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या

मैं , पत्नी/पुत्र/सुपत्री श्री , रजिस्ट्रीकरण /प्रमाण पत्र संख्या नगर विक्रय समिति , एतद्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ / करती हूँ ।

समर्थक का नाम तथा हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण /विक्रय प्रमाणपत्र की संख्या.....

अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं _____, पत्नी/पुत्र/सुपत्री श्री _____ नगर विक्रय समिति के अधिकारिता के क्षेत्र में विक्रय करने वाला पथ विक्रेता (रजिस्ट्रीकरण /विक्रेता प्रमाणपत्र संख्या _____) नगर विक्रय

समिति ----- के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अपने नामांकन के लिए एतद्वारा सहमति देता हूँ / देती हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि :-

- (i) मैं उक्त नगर विक्रय समिति का/की कर्मचारी नहीं हूँ ;
- (ii) मैं मतदान करने का/की पात्र हूँ ; और
- (iii) मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम ,2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 7 और तदधीन बनाए गए हिमाचल पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम , 2016 के उपबन्धों के अधीन उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर -----

रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या -----

(केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए)

----- (स्थान) में ----- (समय और तारीख) को नामांकन पत्र प्राप्त किया गया ।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर -----

अभिस्वीकृति

.....निर्वाचन के लिए.....को.....पूर्वाहन/अपराहन.....

.....श्री/श्रीमति/सुश्री.....अभ्यर्थी/प्रस्थापक/समर्थक द्वारा प्रस्तुत.....

का नामांकन प्ररूप प्राप्त किया गया ।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर.....

मोहर

प्ररूप-2

(नियम 6 और अनुसूची का खण्ड 15 देखें)

नगर विक्रय समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतपत्र

नगर विक्रय समिति के सदस्यों, जिन का निर्वाचन हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जिविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2016 से संलग्न अनुसूची-1 के अधीन संचालित किया जाना है, के निर्वाचन के मतपत्र।

.....नगर विक्रय समिति

.....

पता.....

(प्रतिपण)

.....पद के लिए मतपत्र

निर्वाचन की तारीख.....

क्रम संख्या.....रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या.....

मतपत्र संख्या.....

कृपया किसी एक अभ्यर्थी के सामने [X] चिन्ह लगाएं

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र की संख्या	मत डालने हेतु चिन्ह

प्ररूप-3

(नियम 6 और अनुसूची का खण्ड 16 देखें)

निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु पत्र

मैं, पत्नी/पुत्र/सपुत्री श्री....., जिसकी नगर विक्रय समिति की रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र संख्या..... है, उक्त समिति के सदस्य का निर्वाचन लड़ने वाला, तारीख(तारीख विनिर्दिष्ट करें) को होने वाले उक्त नगर विक्रय समिति के सदस्यों के निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपना निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम तथा हस्ताक्षर.....

रजिस्ट्रीकरण/विक्रय प्रमाण पत्र संख्या.....

मैं, पुत्र/पत्नी/सपुत्री श्री पता
निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ता बनने का इच्छुक हूँ।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर,

प्ररूप-4

(नियम 19 देखें)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा शिकायत निवारण समिति को आवेदन

20..... की आवेदन संख्या.....

..... आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्थी

1. आवेदक का नाम:
2. पत्राचार का पता:
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया आई0डी नम्बर
(यदि जारी किया गया है)
4. विक्रय हेतु प्रमाण पत्र को जारी करने की
संख्या तथा तारीख
5. विक्रय का स्थान या अवस्थिति:
6. विक्रय क्षेत्र (जोन) या वार्ड:
7. विक्रय की प्रकृति
 - 1) चल
 - 2) स्थिर (स्थायी)
 - 3) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. किस प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत है:
9. शिकायत या विवाद के ब्यौरे(पूर्ण ब्यौरे दें):
10. शिकायत या विवाद के समर्थन में समर्थक दस्तावेज:

11 घोषणा:

मैं , -----आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ उपरोक्त कथित है , मेरे पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सत्य है और इस आवेदन को नियमों में विहित की गई समय-सीमा के भीतर दाखिल करता हूँ।

12. स्थान:

13 तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : इस आवेदन के साथ समस्त ससंगत दस्तावेज संलग्न करें।

यदि अपेक्षित हो , इस आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले पृथक् पत्र पर शिकायत या विवाद के पूर्ण ब्यौरे दें।

प्ररूप-5

(नियम 22 देखें)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध
स्थानीय प्राधिकरण को अपील

20.. का.....आवेदन संख्या.....

..... आवेदक

बनाम

.....प्रत्यर्थी

1. आवेदक का नाम:
2. पत्राचार हेतु पता:
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या(यदि जारी की गई है):
4. विक्रय हेतु प्रमाण पत्र को जारी करने की संख्या तथा तारीख:
5. विक्रय का स्थान या अवस्थिति:
6. विक्रय क्षेत्र (जोन) या वार्ड:
7. विक्रय की प्रकृति:
 - I. चल
 - III. स्थिर (स्थायी)
 - III. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. नगर विक्रय समिति का आदेश जिस के विरुद्ध यह अपील की है:
 - I. विक्रय प्रमाण पत्र की नामंजूरी (अस्वीकृति)
 - II. विक्रय प्रमाण पत्र का निलंबन:
 - III. विक्रय प्रमाण पत्र का रद्दकरण:
9. अपील के आधार के ब्यौरे(पूर्ण ब्यौरे दें):
10. अपील के समर्थन में दस्तावेज:

11. घोषणा

मैं,.....आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ उपरोक्त कथित है , मेरे पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सत्य है और इस आवेदन को नियमों में विहित समय सीमा के भीतर दाखिल करता हूँ।

12. स्थान:

13. तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण: इस अपील के साथ नगर विक्रय समिति के आदेश सहित समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

यदि अपेक्षित हो तो इस अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले पृथक् पत्र पर अपील दाखिल करने के कारण दें।

प्ररूप-6

(नियम 22 देखें)

व्यथित पथ विक्रेता द्वारा शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध
स्थानीय प्राधिकरण को अपील

20.. का.....आवेदन संख्या.....

..... आवेदक

बनाम

..... प्रत्यर्था

1. आवेदक का नाम:
2. पत्राचार हेतु पता:
3. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दी गई पहचान संख्या(यदि जारी की गई है):
4. विक्रय हेतु प्रमाण पत्र को जारी करने की संख्या तथा तारीख:
5. विक्रय का स्थान या अवस्थिति:
6. विक्रय क्षेत्र (जोन) या वार्ड:
7. विक्रय की प्रकृति:
 - I. चल
 - II. स्थिर (स्थायी)
 - III. कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8. शिकायत निवारण समिति का आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है:
9. अपील के आधार के ब्योरे (पूर्ण ब्योरे दें)
- 10 अपील समर्थक दस्तावेज:

11. घोषणा :

मैं , आवेदक, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जो कुछ उपरोक्त कथित है , मेरे पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सत्य है और इस आवेदन को नियमों में विहित समय-सीमा के भीतर दाखिल करता हूँ।

12: स्थान:

13. तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण: इस अपील के साथ नगर विक्रय समिति के आदेश सहित समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें।

यदि अपेक्षित हो तो इस अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले पृथक् पत्र पर अपील दाखिल करने के कारण दें।

(नियम 25 देखें)

राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली कालिक विवरणियों के ब्यौरे।

.....नगर निगम या नगरपानिका परिषद् या नगर पंचायत(मार्च या जून या सितम्बर या दिसम्बर) 20.....को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु कालिक विवरणी के निम्नलिखित ब्यौरे एतद्वारा प्रस्तुत करती है :-

1. तिमाही के दौरान जारी किए, नामंजूर किए , निलंबित किए तथा रद्द किए गए प्रमाण पत्रों के ब्यौरे।

ब्यौरे	आवेदन	स्वीकृत या जारी किए गए	नामंजूर किए गए	नवीकृत किए गए	निलंबित किए गए	रद्द किए गए
तिमाही के शुरू होने के समय पर लंबित						
नए अभिप्राप्त किए गए						
कुल						
तिमाही के दौरान निपटाये गए						
तिमाही की समाप्ति पर लंबित						

2. पथ विक्रेता का नाम पता, विक्रय का स्थान, विक्रय के प्रकार ,आदि सहित नए सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या तथा उनके सम्पूर्ण ब्यौरे।
3. नगर विक्रय समिति की, की गई बैठकों की संख्या।
4. नए चिन्हित विक्रय क्षेत्र, यदि कोई हैं, इस की धारण क्षमता सहित ब्यौरे।
5. की गई सामाजिक संपरीक्षा , यदि कोई है, के ब्यौरे।

6. पथ विक्रेताओं के किए ऋण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमों की उपलब्धता हेतु प्रोत्साहनीय उपायों के ब्यौरे ।
7. कोई अन्य जानकारी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित की जाए ।

आदेश द्वारा,


(मनीषा नंदा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरी ।

तारीख शिमला-2, 05-12-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्रवाई तथा सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला-2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त नियमों की प्रति समस्त शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करवाएं तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. समस्त, उपायुक्त (सिवाए किन्नोर और लाहौल स्थिति) हि0प्र0
4. आयुक्त, नगर निगम शिमला-171001
5. आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश ।


(वीरेंद्र शर्मा)
संयुक्त सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(3)-13/2015-loose dated.....as required under Clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

UD-A(3)-13/2015-loose Shimla-171002, the

05/12/2016

In exercise of the powers conferred by section 36 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act No. 7 of 2014), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Official Gazette*.

2. Definitions.(1)- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act No 7 of 2014) ;
- (b) "Commissioner" means an Officer-In-charge of the Municipal Corporation;
- (c) "Executive Officer" means an Officer-In-charge of the Municipal Council;
- (d) "form" means the form appended to these rules ;
- (e) "public purpose" includes in the context of the Act,-
 - (i) widening of roads, street, lanes;
 - (ii) shifting the alignment of roads, street, lanes;
 - (iii) construction of flyovers with or without clover leaves and slip down roads;
 - (iv) construction of underpasses;
 - (v) development of land for the purpose for which it has been reserved or acquired for any public projects;
 - (vi) implementation of town planning schemes;
 - (vii) laying of water, storm water or sewer lines;
 - (viii) construction of intermediate pumping stations for the services;
 - (ix) public conveniences;

- (x) any project related with public transport like Bus Rapid Transit System (BRTS), Metro, etc;
 - (xi) construction of Economically Weaker Section (EWS) Housing;
 - (xii) construction of Parks, Gardens and recreational area;
 - (xiii) conservation of any eco system resource in that area; and
 - (xiv) any other development work taken by the local authority, the beneficiary of which will be the community at large.
- (f) 'rule' means rules made under section 36 of the Act.
 - (g) 'SCHEDULE' means SCHEDULE appended to these rules ;
 - (h) "Secretary" means an officer-in-charge of a Nagar Panchayat ; and
 - (i) section means the section of the Act.
- (2) All other word and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

AGE OF STREET VENDOR

- 3. Minimum age of street vendor.** – The minimum age of a street vendor for street vending shall be fourteen years.

CHAPTER-III

TOWN VENDING COMMITTEE

- 4. Constitution of Town Vending Committee.** – (1) Every Municipality shall constitute the Town Vending Committee in the following manner, namely:-

- A. In the case of a Municipal Corporation, the committee shall consist of the following members, namely:-

Official members –

- (i) The Municipal Commissioner who shall be the Chairperson of the Town Vending Committee;
- (ii) Medical Officer of the local authority or any officer-in-charge of the management of preventive health measures;
- (iii) representative of Collector ;
- (iv) representative of planning authority ;

- (iii) one Police official nominated by the Director General of Police not below the rank of Assistant Superintendent of Police; and
- (vi) one representative of Traffic Police:

Provided that one of the official members as decided by the Chairperson shall act as the Secretary of the Committee.

Non-official members-

- (i) one Councillor to be nominated by Local Authority ;
- (ii) representatives of the street vendors shall not be less than forty percent of total members in the committee;
 - (a) while holding election of the street vendors to the Town Vending Committee, the Town Vending Committee, if it deems fit, shall decide the number of seats to be represented for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and persons with disabilities on a rotation basis; and
 - (b) for ensuring one-third representation for women, the Town Vending Committee shall decide the number of seats of reserved and open categories before each election which shall be represented by a women candidate only ;
- (iii) members of the community based organizations and the Non-Government Organizations shall not be less than ten percent of total members in the committee ;
- (iv) one member of the Market and Trade Associations ;
- (v) one member of Resident Welfare Associations ; and
- (vi) one representative of the Nationalized Lead Bank of the city or town, as the case may be.

B. In the case of a Municipal Council , the committee shall consist of the following members, namely :-

Official members –

- (i) The Executive Officer shall be the Chairperson of the Town Vending Committee;
- (ii) representative of Sub Divisional Magistrate ;
- (iii) Medical Officer or his representative ;
- (iv) Police Inspector ;
- (v) Traffic Police representative; and
- (vi) An official or representative of the Town and Country Planning Department of the State, stationed locally or in any nearby city or town:

Provided that one of the official members as decided by the chairperson shall act as the Secretary of the Committee.

Non –official members-

- (i) one member of the local authority ;
- (ii) representatives of the street vendors shall not be less than forty percent of total members in the committee ;
 - (a) while holding election of the street vendors to the Town Vending Committee, the Town Vending Committee, if it deems fit, shall decide the number of seats to be represented by Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and persons with disabilities on a rotation basis; and
 - (b) for ensuring one-third representation for women, the Town Vending Committee shall decide the number of seats of reserved and open categories before each election which shall be represented by a women candidate only ;
- (iii) one member of the Market and Trade Associations;
- (iv) members of the Non-Government Organizations and community based organizations shall not be less than ten percent of total members in the committee ;
- (vi) one member of Resident Welfare Associations; and
- (vii) one representative of the Nationalized Lead Bank of the city or town , as the case may be.

C. In case of a Nagar Panchayat, the committee shall consist of the following members, namely :-

Official Members-

- (i) the Secretary shall be the Chairperson of the Town Vending Committee ;
- (ii) one representative of the Tehsildar ;
- (iii) Medical Officer or his representative ;
- (iii) Police Sub-Inspector ; and
- (iv) Traffic Police representative.

Non official members-

- (i) one member of the local authority ;
- (ii) representatives of the street vendors shall not be less than forty percent of total members in the committee ;
 - (a) while holding election of the street vendors to the Town Vending Committee, the Town Vending Committee, if it deems fit, shall decide the number of seats to be represented for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward

Classes, Minorities and persons with disabilities on a rotation basis; and

(b) for ensuring one-third representation for women, the Town Vending Committee shall decide the number of seats of reserved and open categories before each election which shall be represented by a women candidate only;

(iii) one member of the Market and Trade Associations,

(iv) members of the Non-Government Organizations and community based organizations shall not be less than ten percent of total members in the committee;

(v) one member of the Resident Welfare Associations ; and

(vi) one representative of the Nationalized Lead Bank of the city or town , as the case may be.

(2) The Non official members shall be elected or selected as per the procedure laid down in the rule 6.

(3) The percentage of reservation shall be followed as per the prevalent guidelines of the State Government.

5. Provisional Town Vending Committee.-(1) Notwithstanding anything contained in rule 4, the local authority/ municipality shall constitute the provisional Town Vending Committee, till such time, as the survey of street vendors is completed and election of the representatives of street vendors is held on the basis of such survey. The local authority shall nominate all the members of the provisional Town Vending Committee of various categories as required under the Act for this purpose.

(2) The nomination of street vendors to the Provisional Town Vending Committee, under sub-rule (1), shall be based on the document which establishes the status of the person as a street vendor in the city or town for the last more than six months, for which the Provisional Town Vending Committee is to be constituted.

(3) The duration of the Town Vending Committee constituted under sub-rule (1) shall not be more than one year or till such time as the election of the street vendors to the Town Vending Committee could be held on the basis of the survey undertaken, whichever is earlier.

6. Mode of election or selection of Non-Official members.-(1) The General Board of the local authority shall decide one of the members of the local authority, to be nominated for Town Vending Committee.

(2) The local authority , by resolution , may decide for the mode of nomination of the members from the Street Vendor Associations, Market and Trade Associations, Non-Government Organization, etc. by any one of the following procedures:-

(a) where it has been decided to go for a ballot based election for the non-official members of the Town Vending Committee, the institution wise election shall be conducted by the Collector or his representative following the procedure usually adopted for the election of the representatives of the local authority ; and

(b) where it has been decided to select by lot, the following procedure shall be followed, namely:-

(i) the local authority shall publish a notice calling for applications for the membership of the Town Vending Committee, on its website and in any two prominent local newspapers published in Hindi. A copy of the notice shall also be displayed in any conspicuous place in the local market or markets within the jurisdiction of the local authority ;

(ii) the publication of such notice shall contain, amongst other things, the date of publication, the form for the application, qualification of the candidate, the last date for submission and the manner of submission of the application ;

(iii) the notice shall be published thirty days prior to the last date for the submission of applications for membership of the committee ;

(iv) any person, being member of any association of street vendors, the market association, the traders association, Non-Governmental Organization and community based organization and resident welfare association is eligible to apply for membership of committee ; Provided that such person must have completed the age of eighteen years and had not been convicted by any court of law for any criminal offence declaring him incompetent to take part in the general election ;

(v) the local authority may seek information, with respect to, particulars of the applicant and details of work experience, particularly in the jurisdiction of informal market or markets and street vending within the jurisdiction of the local authority, and such other information as it may deem fit ;

(vi) The local authority, on receipt of such applications shall allot a unique number to each application and communicate the same to every applicant ; and

(vii) if the applications received for a category are more than the required numbers, the local authority shall select the member on the basis of lot to be drawn in the presence of interested parties.

(3) The election for the members of the Town Vending Committee from amongst the street vendors shall be conducted in the manner provided in the SCHEDULE appended to these rules.

(4) The National Lead Bank shall nominate one of its officials as a member for the committee.

(5) The local authority shall put the aforesaid information and the list of nominated members of Town Vending Committee on its website, within thirty days from the last date for submission of application for the membership of the committee.

(6) The formation of the Town Vending Committee (both official and non-official members) shall be published by the local authority in the Official Gazette.

7. Duration of Town Vending Committee.-(1) The term of Town Vending Committee shall be five years from the date of its constitution.

(2) The process of constituting new Town Vending Committee shall be completed before the expiry of the term of the existing committee.

8. Removal of member of Town Vending Committee.-If in the opinion of the local authority, any member of the Town Vending Committee persistently makes default in the performance of his duties conferred on him under the Act or the rules made thereunder or exceeds or abuse its power, the Chairperson may, by order, remove such member from Town Vending Committee:

Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before passing an order of removal.

9. Method of filling of vacant post.- Where any vacancy occurs in the existing Town Vending Committee due to resignation, death, removal of any member or for any other reason, the same procedure as laid down in rule 6 of these rules shall be followed for filling up such vacancy.

10. Procedure for meeting of Town Vending Committee.-(1) The Town Vending Committee shall decide in its first meeting, the various procedural aspects relating to conduct of its business.

(2) The time and venue of the meeting shall be decided by the Chairperson.

- (3) The Member-Secretary shall issue a notice before seven days of a scheduled meeting.
- (4) The agenda of the items to be discussed in the meeting shall be circulated to the members and uploaded on official designated website. Each agenda item shall be accompanied by a detailed note bringing out the issues involved with the clear recommendation, if any, made by the administration.
- (5) The quorum of the meeting shall be of two-third members of total strength of the committee.
- (6) The decision shall be taken on the basis of the majority of members present at meeting.
- (7) No meeting shall be carried on in the absence of the quorum and where there is no quorum, the meeting shall be adjourned.
- (8) The minutes of the meeting shall be signed by the Chairperson and shall be placed in the subsequent meeting of the committee for confirmation.
- (9) The minutes of the meeting shall be uploaded on the website of local body.
- (10) The meeting of the Town Vending Committee shall be held at least once in every two months.
- (11) The first meeting of the newly constituted Town Vending Committee shall be fixed within fifteen days from the date of its constitution.

11. Disqualification of members.- The leave of absence and the disqualification of member of the Town Vending Committee shall be decided in the following manner, namely:-

- i. a member, in case of urgency, may remain absent in the meeting with the prior approval of the Chairperson of the committee.
- ii. when a member, in case of urgency remains absent for three consecutive meetings without permission, the Chairperson shall issue a show cause notice to such member asking him to explain within two weeks, the reason for his absence in the meetings. If such member submits satisfactory explanation or reasons for his absence, he may be allowed to continue as a member ;
- iii. where such member fails to give any satisfactory reason for his absence in the meetings or does not reply to the show cause notice within stipulated time, his membership from the Town Vending Committee shall be terminated and such termination order shall be communicated to the member by the Town Vending Committee ;
- iv. any member convicted in any criminal case shall cease to be a member of the Town Vending Committee from the date of conviction ; and

- v. any member who has lost membership of the Town Vending Committee may prefer appeal to the State Government within one month from the date of receipt of termination order. The State Government after giving opportunity of being heard to both the parties shall decide the appeal and the decision of the Government thereon shall be final.

12. Status paper and street vending scenario shall be put up by the local authority.-After the procedural details are finalized by the Town Vending Committee, and before it takes up the regular business, the local authority shall circulate a status paper of the street vending scenario in the city or town amongst the members of the committee containing the following details, namely:-

- (i) the areas of street vending in the city or town indicated in the maps,
- (ii) the number of street vendors in the city or town where a survey has already been conducted, otherwise indication can be given about the approximate numbers,
- (iii) information about the high footfall areas, lean footfall areas and mid-range areas from the street vending angle,
- (iv) the areas of seasonal vending, areas of niche market, areas of night bazars, the likely high footfall places in the areas under development,
- (v) a broad category of articles sold,
- (vi) the problem areas from the traffic angle,
- (vii) enumeration of the relevant provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006, and
- (viii) enumeration of health and hygiene aspect needs to be taken care of by the street vendors.

Explanation. - Caution should be taken to ensure that the data presented are authentic to the extent possible and up-to-date. This will virtually be from the baseline data to facilitate the committee to take decision. These databases can be presented in the digital form if so desired by the committee.

13. Functions of Town Vending Committee.-Without prejudice to any other provisions of the Act, a town vending committee shall perform following functions and duties, namely:-

- (i) to conduct surveys for street vending and to take final decision about vending zones alongwith their holding capacity as worked out by the local authority under the scheme ;

Explanation .- For deciding the vending zones, the Town Vending Committee shall have the base materials or data from the local authority. The bye-laws and the planning will identify the vending zones,

- (ii) where the committee considers it necessary to change zoning or the area to be allotted to individual vendor, it may draw attention of the local authority to suitably modify the plan. After obtaining opinion of the local authority, the committee shall take final decision thereon,
- (iii) while making recommendations and suggesting any changes in the vending zones, the committee shall take into consideration the road width, traffic flow and the pedestrian movement in the area concerned,
- (iv) to issue, withhold, renew, cancel or suspend the certificate of vending;
- (v) to carry out the social audit as specified in the scheme;
- (vi) to declare, on the recommendations of the local authority, the natural market, weekly market, heritage market, festive market, seasonal market, night bazar and niche market with their exact location and the specific period in case of seasonal market or festive market. Where such markets are evolving a new, the committee shall get the necessary survey carried on of the area and such other aspects as it deems necessary and declare the place a market of any of the aforesaid mentioned categories, depending on the situation,
- (vii) to furnish, from time to time, to the State Government such returns as required under the Act and the rules,
- (viii) to provide informations to the State Government for undertaking promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors,
- (ix) to raise awareness among the people, the role of street vendors in the economy, and
- (x) to perform such other functions as assigned by the local authority or the State Government for effective implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.

14. Sub-Committee for specific issue.-The Town Vending Committee may decide and form a sub-committee consisting of its members, to examine and come up with the suggestions on any specific issue which may crop up from time to time.

15. Allowances to non-official members.-The non-official members shall be entitled to such seating fee as may be decided by the local authority with the prior approval of the State Government. In case of non-quorum meeting, fifty percent of the seating fee shall be paid to such members who have attended such non-quorum meetings.

16. Persons to be associated in the meeting.-The Town Vending Committee may associate any professional who is an expert in the field of informal economy

including street vending or spatial planning issues, for taking a view on matters relating to street vending. Such an expert shall have the right to take part in the discussion in the meeting but shall have no right to vote in the meeting. Such person shall be paid such honorarium as may be decided by the Chairperson with the prior approval of the State Government.

- 17. Employees of Committee.-** (1) The Town Vending Committee shall have its permanent office at such place as may be decided by the local authority.
- (2) The local authority shall provide adequate staff at their cost as requested by the Town Vending Committee but no permanent burden shall be created by the Committee on account of the establishment cost.

CHAPTER-IV

DISPUTE REDRESSAL SYSTEM

- 18. Constitution of Grievance Redressal Committee.-**(1) The State Government shall constitute one or more Grievance Redressal Committees for redressal of grievances or resolution of the disputes of the street vendors.

(2) The State Government shall decide the area of jurisdiction and the headquarters of the Grievance Redressal Committee.

(3) (a) The State Government shall appoint a Civil Judge or a Judicial Magistrate as a Chairperson and two other persons as members of the Grievance Redressal Committee.

(b) Out of two other members of the Grievance Redressal Committee, one shall be a retired Municipal Commissioner of a Municipal Corporation or a retired executive officer of a Municipality or a retired Secretary of Nagar Panchayat, as the case may be, in the region and the second member of the committee shall be a prominent social worker, preferably a person having experience in the field of informal economy including street vending.

(4) The tenure of the Grievance Redressal Committee shall be three years.

(5) The Chairperson and the members of the Grievance Redressal Committee shall be paid such remuneration as may be decided by the State Government from time to time.

- 19. Form and manner of making application to Grievance Redressal Committee.-**(1) Any street vendor who has any grievance or dispute in respect of anything done or any action taken under the provisions of the Act (except section 11) or the rules made thereunder may make an application in writing in

Form-IV, either himself or through his representative, to the Grievance Redressal Committee.

(2) Such application shall be filed by the street vendor within a period of thirty days from the date of occurrence of any incident causing the grievance or dispute.

(3) The Grievance Redressal Committee shall not entertain any application where,-

(a) the application is anonymous or it contain general and vague allegations ;

(b) the matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or a quasi-judicial authority ;

(c) the matter is beyond the purview of the Act ; and

(d) the applicant has no locus standi to file an application.

20. Manner of hearing by Grievance Redressal Committee.-(1) On receipt of an application under rule 19, the Grievance Redressal Committee shall hold a preliminary hearing with the applicant to determine as to whether there is a prima facie case and whether the balance of convenience is in favour of applicant. The street vendor may also pray for the interim relief during the pendency of such application.

(2) The result of the preliminary hearing shall be pronounced at the conclusion of the hearing and shall be recorded in writing and communicated to the applicant. The Grievance Redressal Committee may grant or refuse the interim relief, if any, prayed by the street vendor, with the reasons recorded in writing.

(3) Where it has been held by the Grievance Redressal Committee that there is a prima facie case, a notice shall be issued to the public authority containing the details of the grievance or dispute.

(4) The public authority, on receipt of such notice, will file a reply within a period stipulated in the notice, A copy of the reply shall also be furnished to the street vendor, free of cost.

(5) The street vendor may file a counter reply within a period of two weeks from the date of receipt of written reply filed by the public authority.

(6) The Grievance Redressal Committee may order for a field enquiry by deputing one of its members or an official of the local authority in connection with the contentions made by the applicant or respondent and also with reference to the records placed before it.

(7) The Grievance Redressal Committee, after hearing both the parties, shall pass an order in writing , with the reasons for taking the decision, within a period of one month from the date on which hearing of both the parties concluded.

(8) The decision of the Grievance Redressal Committee shall be binding on the parties unless it is stayed by the Municipal Committee to which the appeal lies.

CHAPTER - V

APPEALS

21. Appeal against decision or order of Town Vending Committee.-(1) Any person, aggrieved by the decision or order of the Town Vending Committee, with respect to issue of certificate of vending or cancellation or suspension of certificate of vending, may prefer an appeal to the local authority within a period of thirty days from the date of decision of the Town Vending Committee, in the Form V, either himself or through his representative.

(2) Any appeal filed after the expiry of the stipulated period specified in sub-rule (1) shall not be entertained by the local authority:

Provided that the local authority may condone the delay if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring an appeal within the stipulated period.

(3) The local authority shall dispose of such appeal within a period of thirty days from the date of filing of the appeal.

(4) The local authority, after hearing both parties shall pass an order in writing, with reasons for taking such decision.

22. Appeal against decision or order of Grievance Redressal Committee.-(1) Any person, aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee may prefer an appeal in writing to the local authority within a period of thirty days from the date of order of the Grievance Redressal Committee in Form VI either himself or through his representative.

(2) Any appeal filed after the expiry of the stipulated period specified in sub-rule (1) shall not be entertained by the local authority:

Provided that the local authority may condone the delay if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring an appeal within the stipulated period.

(3) The local authority, on receipt of appeal, shall issue a notice to the parties concerned intimating the date and time of hearing. The hearing date shall be fixed within thirty days from the date of filing of appeal.

(4) The local authority, after hearing both parties , shall pass an order in writing within a period of thirty days from the date on which hearing of both the parties concluded.

CHAPTER - VI

MISCELLANEOUS

23. Manner of maintaining uptodate record of street vendors.-(1) The paper records of the Town Vending Committee shall be maintained by its secretariat in the place allotted by the local authority and the soft copy should also be maintained suitably. All decisions taken by the Town Vending Committee shall be placed on a designated website.

(2) The records relating to the allotment of the space to the street vendors shall be kept for ten years. Other records may be preserved for a period of five years unless those are needed for any legal proceedings.

(3) The street or road plan with the existing site of the street vending shall be a permanent record with the town vending committee.

24. Manner of publishing summary of scheme.-The summary of the scheme notified by the State Government under section 38 of the Act shall be published by the local authority in two local newspapers and shall also be uploaded on the website of Town Vending Committee. Such publication of scheme by the local authority shall be made within seven days from the date of scheme notified by the State Government.

25. Furnishing of returns to the State Government.-Every Town Vending Committee shall furnish from time to time, return as required under section 30 alongwith details specified in Form VII , to the State Government.

SCHEDULE
(See rule 6(3))

Manner of election of the members of the Town Vending Committee from amongst the street vendors:-

1. The local authority shall by a notification express its intention to conduct elections for the members of a Town Vending Committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the local authority.
2. The local authority shall appoint a returning officer for the purpose of conducting election of members of the Town Vending Committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the local authority.
3. The returning officer appointed under clause 2 shall conduct the elections for the members of the Town Vending Committee from amongst the street vendors in the manner provided here in after.
4. A mobile vendor, stationary vendor or street vendor shall be disqualified to be elected as member of Town Vending Committee if he is convicted of an offence involving moral turpitude or he is physically or mentally incapable of discharging duties as a member of a town vending committee.
5. The local authority shall supervise, direct and control the conduct of elections of the members of a Town Vending Committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.
6. As soon as the notification expressing the intention of the local authority to conduct elections of the members of the Town Vending Committee representing the street vendors has been issued and a returning officer has been appointed for conducting the election, the local authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of the election.
7. The notice of the resolution or decision of the local authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, by any of the following modes, namely:-
 - (a) by public notice to be published in two prominent daily newspapers out of which one shall be in Hindi;
 - (b) by local delivery;
 - (c) by post under certificate of posting;

(d) by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as on the notice board of the returning officer. The notice shall contain information regarding –

- (i) the number of members to be elected including seats reserved for representation of Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Other Backward Classes , women, persons with disabilities, minorities or any other specified categories;
 - (ii) the date on which, the place at which and the hours between which nomination papers shall be filed, such date being not less than seven clear days before the date fixed for election or if that day happens to be public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
 - (iii) the date and the hour for scrutinisation of the nomination papers; and
 - (iv) the date, place and the hours of the polling.
8. The local authority shall prepare a list of street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee as it stood on thirty days before the date fixed for inviting the nominations and publish copies of the said list by affixing it on the notice board of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for inviting nominations. The list shall specify the registration number of certificate of street vending and name of the street vendor, name of father or husband, as the case may be, and the address of the street vendor. It shall be the duty of the Town Vending Committee or the local authority, as the case may be, to bring up-to-date register of street vendors and such other registers as the returning officer may require and handover such records or registers to the returning officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election. A copy of the list shall be supplied by the Town Vending Committee or the local authority or the returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the local authority.
9. The nominations of the candidates for election shall be made in Form-I which shall be supplied by the returning officer to any street vendor free of cost.
10. The candidate shall make a security deposit of rupees two thousand in cash or bank draft or pay order alongwith the nomination papers. If a candidate fails to get one sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited to the local authority.
11. Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or seconder to the returning officer. The returning officer shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall

immediately give a written acknowledgement for the receipt of nomination paper which shall bear the seal of the Town Vending Committee or returning officer. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.

12. (i) On the day following the date fixed for the receipt of nomination papers, the returning officer shall take up the security of the nomination papers;
- (ii) the returning officer shall examine the nomination papers and decide objections in respect of any nomination and may either on such objection or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as the returning officer thinks necessary, reject any nomination:
Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder or any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder , as entered in the list of street vendors referred to in clause 8 if the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.
- (iii) the returning officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid;
- (iv) the returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and if the nomination paper is rejected he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection; and
- (v) the returning officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his control.

13. The list of valid nominations as decided by the returning officer with names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers shall be displayed or published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.

14. Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 5:00 PM on the day following the day on which the valid nominations are published, to the returning officer of the Town Vending Committee. A notice of withdrawal of candidature once given shall be irrevocable.

15. Where the number of candidates whose nomination papers have been declared valid, does not exceed, the number of candidates to be elected, the returning officer shall announce the names of all such candidates and declare them to have been duly elected to the Town Vending Committee after closing hour of the day of withdrawal of candidatures fixed under clause 14 above. Where the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected, the returning officer shall arrange for conducting a poll soon the date fixed for the purpose. The returning officer may appoint one or more polling officers as may be necessary for conducting the poll. The ballot paper to be used for the election shall be in Form-II.
16. The local authority shall provide the returning officer with ballot boxes, ballot papers, copy of list of street vendors or voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections. The ballot box shall be designed in such a way that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked. A candidate contesting the election may, by a letter to the returning officer, appoint an agent to represent him for both the places where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes. Such letter shall contain consent in writing of the agent concerned in Form-III.
17. The canvassing for votes by any person at any place where election is to be conducted shall be prohibited.
18. Immediately before the commencement of the poll, the returning officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock it up and fix his seal. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.
19. Every street vendor or voter who desires to exercise his right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of the contesting candidates arranged in English alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, on the ballot paper. The ballot paper shall also bear the seal of the Town Vending Committee and also the initials of the returning officer, and further contain a column, for the voter to

inscribe a mark [x] against the names of the persons to whom he wants to vote.

20. Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendor or voters can record their votes in secrecy.
21. No ballot paper shall be issued to a street vendor or voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor or the voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him. On receipt of such ballot paper the street vendor or voter shall proceed to the polling compartment set up for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the case may be, and drop the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor or voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the returning officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he desired to vote, inscribe the mark [x] on his behalf and drop the ballot paper in the ballot box.
22. If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray at such elections and it is not possible to take the poll for any sufficient cause, the returning officer may stop the polling recording his reason for such action in the minute book of the Town Vending Committee.
23. No street vendor or voter shall be admitted after the hours fixed for the poll but a voter who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed him to vote.
24. The counting of votes shall take place immediately after closure of the poll. If this is not possible, the ballot box shall be sealed with the seal of the returning officer and the contesting candidates or their agents, if they so desire, and deposit such ballot box with the local authority for custody. The returning officer shall then announce the next day of counting. The votes

shall be counted by or under the supervision of the returning officer. Each candidate and his authorized agent shall have a right to be present at the time of counting. But absence of any candidate or his agent at the time of counting shall not vitiate the counting and the announcements of results by the returning officer. The number of votes secured by each candidate and the result of election shall be announced by the returning officer as soon as the counting is over.

25. The result of the elections shall also be recorded in the minute book of the Town Vending Committee and attested by the returning officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.

26. In case of equal number of votes, the returning officer shall declare the election result by tossing coin.

27. The ballot paper shall be rejected by the returning officer if,-

- (i) it bears any mark by which the street vendor's vote can be identified ;
- (ii) it does not bear the seal of the Town Vending Committee or the initials of the returning officer ;
- (iii) the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which the candidate vote has been casted ; and
- (iv) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.

28. After the declaration of the result of election, the same alongwith a report thereon shall be communicated to the local authority as well as to the State Government by the returning officer, within three days from the date of declaration of the election result.

29. After the declaration of the result of the election, the returning officer shall handover the ballot paper and records relating to the elections of the members of the Town Vending Committee to the local authority in a sealed cover. These shall safely be preserved by the local authority for a period of six months from the date of elections or till such time a dispute regarding elections, if any, filed is disposed of, whichever is later and shall thereafter be destroyed by the local authority. A copy of the handing over and taking over record of election shall be sent to the Government as well as to the local authority by the returning officer along with his report.

FORM 1
[See rule 6]
(clause 9 of schedule)

**NOMINATION FORM FOR ELECTION OF MEMBERS OF TOWN
VENDING COMMITTEE**

To,
The Returning Officer,
.....
Town Vending Committee,

Sir,
I,.....wife/son/daughter of
Shri....., street vendor, vending in the area of jurisdiction of
the Town Vending Committee,(Registration/ certificate of Vending
No.....) hereby propose the name of Shri/Smt./
Ms.....wife/ son/ daughter of
Shri.....and a street vendor of the said Town Vending
Committee (Registration / Certificate of Vending
No.....) as a candidate for the post of member of the
said committee for the election to be held on.....

Name and signature of the proposer.....
Registration/ certificate of Vending No.....

I,.....wife/ son/ daughter of
Shri.....Registration/ certificate of vending
No.....ofTown Vending
Committee, hereby second the above proposal.

Name and signature of the Seconder.....
Registration/ certificate of Vending No.....

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I,.....wife/ son/daughter of Shri.....,
street vendor, vending in the area of jurisdiction of the Town Vending
Committee,(Registration/ certificate of Vending
No.....) hereby agrees to my nomination for the
election as member of theTown Vending
Committee.

I further declare that –

- (i) I am not employee of the said Town Vending Committee;
- (ii) I am eligible to vote ; and
- (iii) I do not incur any disqualification for election as member of the said Town Vending Committee under the provisions of the Street Vendors(Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act No 7 of 2014) and the H.P. Street Vendors(Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2016 made there under.

Name and signature of the Candidate.....
Registration/ certificate of Vending No.....

(FOR OFFICE USE ONLY)

Received the nomination format.....(time and date)

Signature of the Returning Officer.....

ACKNOWLEDGEMENT

Received the nomination form of.....presented
by Shri/ Smt./ Ms.....candidate/ proposer/
seconder for the election at.....am/pm.
On.....

Signature of the Returning Officer.....

Seal

FORM II

[See rule 6 and clause 15 of schedule]

BALLOT PAPER FOR ELECTION OF MEMBER OF A TOWN VENDING COMMITTEE

Ballot paper of election of members of a Town Vending Committee whose elections are to be conducted under schedule I appended to the H.P. Street Vendors (Protection of Livelihoods and Regulation of Street vending) Rules, 2016.

The.....Street Vending Committee

.....

.....(address)

(Counterfoil)

Ballot paper for the post of

Date of election.....

Sr. No.....Registration/ Certificate of vending no.....

No.....Ballot Paper.

Please mark [x] against one of the candidates

Sr. No.	Name of the candidate	Registration/ Vending No.	certificate of	Mark for casting vote

FORM III

[See rule 6 clause 16 of schedule]

Letter for Appointment of Election Agent/ Counting Agent

I,.....wife/son/daughter of Shri
..... Registration /certificate of vending No.....of.....Town
Vending Committee contesting for election of member of the said committee,
hereby nominate the following person as my election agent / counting agent in the
election of Members of the said Town Vending Committee to be held
on.....(specify date):-

Name and Signature of the Candidate.....

Registration/ certificate of Vending No.

I,son/ wife/ daughter of
Shri.....address.....
.....am willing to be the
election agent/ counting agent.

Signature of the Agent,

FORM IV

[See rule 19]

**APPLICATION BY THE AGGRIEVED STREET VENDOR TO THE
GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE**

Application No.of 20...

.....Applicant

Vs

.....Respondent

1. Name of Applicant:
2. Address for correspondence:
3. ID Number given by local authority (if issued):
4. Number and the date of issue of certificate for vending:
5. Place or location of vending:
6. Zone or ward of vending:
7. Nature of vending:
 - I. Mobile
 - II. Stationary
 - III. Any other (specify)
8. Grievance against which authority:
9. Details of grievance or dispute (give full details):
10. Documents supporting grievance or dispute:
11. Declaration:

I,-----the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and information and files this application within the time limit prescribed in the rules.

12. Place:

13. Date:
applicant

Signature of

Note: Attach all the relevant documents with this application.

If required, give full details of grievance or dispute on separate paper to be attached with this application.

FORM V

[See rule 22]

**APPEAL BY THE AGGRIEVED STREET VENDOR TO THE LOCAL
AUTHORITY AGAINST DECISION OF THE TOWN VENDING
COMMITTEE**

Application No.of 20...

.....Applicant

Vs

.....Respondent

1. Name of Applicant:
2. Address for correspondence:
3. ID Number given by local authority (if issued):
4. Number and the date of issue of certificate for vending:
5. Place or location of vending:
6. Zone or ward of vending:
7. Nature of vending:
 - I. Mobile
 - II. Stationary
 - III. Any other (specify)
8. Order of Town Vending Committee against which this appeal is preferred:
 - I. Rejection of certificate of vending
 - II. Suspension of certificate of vending
 - III. Cancellation of certificate of vending
9. Details of grounds of Appeal (give full details):
10. Documents supporting Appeal:

11. Declaration:

I,-----,the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and information and files this application within the time limit prescribed in the rules.

12. Place:

13. Date:

applicant

Signature of

Note: Attach all the relevant documents including order of Town Vending Committee with this appeal.

If required, give reasons for filing the appeal on separate paper to be attached with this appeal.

FORM VI

[See rule 22]

**APPEAL BY THE AGGRIEVED STREET VENDOR TO THE LOCAL
AUTHORITY AGAINST DECISION OF THE GRIEVANCE REDRESSAL
COMMITTEE**

Application No.of 20...

.....Applicant

Vs

.....Respondent

1. Name of Applicant:
2. Address for correspondence:
3. ID Number given by local authority (if issued):
4. Number and the date of issue of certificate for vending:
5. Place or location of vending:
6. Zone or ward of vending:
7. Nature of vending:
 - I. Mobile
 - II. Stationary
 - III. Any other (specify)
8. Decision of Grievance Redressal Committee against which appeal is preferred:
9. Details of grounds of appeal (give full details):
10. Documents supporting appeal:
11. Declaration:

I,-----the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and information and files this application within the time limit prescribed in the rules.

12. Place:

13. Date:

applicant

Signature of

Note: Attach all the relevant documents including order of grievance redressal committee with this appeal.

If required, give reason for filing appeal on separate paper to be attached with this appeal.

FORM VII

[See rule 25]

**DETAILS OF THE PERIODICAL RETURNS TO BE FURNISHED TO THE
STATE GOVERNMENT**

.....Municipal Corporation or Municipal Council or
Nagar Panchayat hereby submits the following details of the periodical return
for quarter ending.....[March or June or September
or December], 20.....

**1. Details of certificates issued, rejected, suspended and cancelled during the
quarter.**

Details	Applications	Accepted or issued	Rejected	Renewed	Suspended	Cancelled
Pending at the beginning of the quarter						
Newly received						
Total						
Cleared during the quarter						
Pending at the end of the quarter						

2. Number of newly surveyed street vendors and their complete details including name of street vendor, address, place of vending, type of vending, etc.
3. Number of the meetings of the Town Vending Committee held.
4. Details of newly vending area earmarked, if any, with its holding capacity
5. Details of social audit done, if any.
6. Details of promotional measures taken for availability of credit, insurance and other welfare schemes of social security for street vendors.
7. Any other information, as directed by the State Government from time to time.

By Order


(Manisha Nanda)
Additional Chief Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. UD-A(3)-13/2015-loose, dated: Shimla-2, the

05/12/2016

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The DLR-cum-Deputy Secretary Law (Legislation) to the Govt. of H.P.
2. The Director, Urban Development, PalikaBhawan, Talland, Shimla-2, with a request to circulate these rules to all ULBs, other concerned and also upload on the website.
3. The All the Deputy Commissioners (except Kinnaur & Lahaul Spiti), in Himachal Pradesh.
4. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla-1
5. The Commissioner, Dharamshala Municipal Corporation, Distt. Kangra, H.P.


(Virender Sharma)

Joint Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh.